27/3/2026 [illegible] । वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
संबंध में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र
वर्णित आख्यान में संयुक्त खातेदारी की आपत्ति
है। जो बिना विभाजन बटवारे के पूर्व पूर्व
करने पर आमादा है। अतः अन्तर्वर्ती विशेषज्ञों
ने परामर्श दिया पश्चात। इसके बहस पर मनन
किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण हल्का
भारला, मुकिया सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के
पक्ष में बनता है। आ0प0सं0 लिखित किया पश्चात यह
निर्णय किया जाता है कि मूल वाद 371/2025 के
निस्तारण तक मौजा काछिया खेती प0ह0न0लो0 की
आ0 नं0 113, 114, 115, 401, 818, 824, 63, 64, 65, 66
67, 68, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111 में अस्थायी रूप से यथास्थिति बनाये रखे
पत्रावली के पक्ष में फैसला होने तक के लिये। आदेश [illegible]

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन